न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 514/प्रार्थना–पत्र/2019
(मि0नं0 1114/दावा/2016 दायरा 04/07/2014)
दायर 05/12/2017

उनवान

भगवान मुरलीमनोहर जी नाबालिग मूर्ति विराजमान ग्राम पनवाड़ जरिये वाद मित्र अध्यक्ष माली समाज पनवाड़ मोहनलाल पुत्र नाथूलाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर

– वादी/अप्रार्थी

बनाम्

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल जाति माली नि0 पनवाड़ तह0 खानपुर मृतक का.मु.
   1/1 महावीर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
   1/2 विष्णु पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
   1/3 नरेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
   1/4 मोनू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
   1/5 गोली पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
   1/6 बद्रीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
2. भंवरीबाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासी पनवाड़ तह0 खानपुर
3. शाखा प्रबन्धक महोदय झालावाड़ सह0 भूमि विकास बैंक शाखा खानपुर
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील खानपुर

– प्रार्थी/प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

उपस्थितः– श्री औंकारेश्वरम शर्मा एडवोकेट – प्रार्थी/प्रति0नं0 1
श्री भूपेंद्रसिंह हाड़ा एडवोकेट – अप्रार्थी/वादी

निर्णय

दिनांक 23/10/2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1/1 व प्रति0नं0 2 ने दिनांक 05.12.2017 को जर्ये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी ने अपने वाद पत्र की मद नं0 3 में विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि मृतक लक्ष्मीनारायण ने अपने हिस्से व कब्जे की आराजी में से दिनांक 12.06.2003 और 20.06.2006 को आराजी का बैचान वर्गफिट माप में कर दिया है। वादी इसके बाद मद

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

नम्बर 4 में कथन करता है कि वह बैचान शुदा आराजी पर खातेदार टीनेट घोषित होने योग्य है। इसलिये वादी को खातेदार टीनेट घोषित किया जावे। वादी इस प्रकार इस वाद के माध्यम से दिनांक 12.06.2003 व 20.06.2006 की संविदा की पालना कराना चाहता है, जिसका कि क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत ही ऐसे वाद चल सकते है। राजस्व न्यायालय को ऐसे वाद में सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये वादी का वाद विधिक रूप से चलने योग्य नहीं है। अतः वाद वादी खारिज करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र की प्रतिलिपी अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी को दिलायी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत न कर सीधे ही बहस करने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1/1, 2 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में यह आलेखित किया है कि लक्ष्मीनारायण ने अपने हिस्से व कब्जे की आराजी में से दिनांक 12.06.2003 और 20.06.2006 को आराजी का बैचान वर्गफिट माप में कर दिया है। वादी वाद पत्र में यह भी कथन करता है कि वह बैचान शुदा आराजी पर खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य है। इसलिये वादी को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे। वादी इस प्रकार इस वाद के माध्यम से दिनांक 12.06.2003 व 20.06.2006 की संविदा की पालना कराना चाहता है, जिसका कि क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है तथा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत ही ऐसे वाद चल सकते हैं। राजस्व न्यायालय को ऐसे वाद की सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार नहीं होने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। हमारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने अपनी बहस में प्रकट किया है कि हमारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89, 90, 91, 188, 209 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है, जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है तथा वाद का निर्णय उभय पक्ष से साक्ष्य व सबूत लिये जाकर गुण दोष के आधार पर किया जाना कानूनन आवश्यक है। वाद इस स्टेज पर खारिज होने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1/1, 2 ने वादी के वाद को विधि के प्रावधानों के विपरीत बताते हुये इसे खारिज किये जाने हेतू आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। यहां वादग्रस्त आराजी ग्राम पनवाड़ की जमाबंदी सं0 2072–75 की खाता सं0 433 की ख0नं0 803 रकबा 1.17 बीघा, ख0नं0 811 रकबा 0.07 बीघा कुल 2 किता की 2.04 बीघा लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल हि0 2/3, भंवरीबाई पुत्री गोपाल हि0 1/6, दांखाबाई विधवा गोपाल हि0 1/6 कौम माली सा0देह के खाते दर्ज है।

वादी ने ख0नं0 803 में से खातेदार मृतक लक्ष्मीनारायण के हिस्से एवं

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

कब्जे काश्त की आराजी में से अपने जीवनकाल मे दिनांक 12.06.2003 को उत्तर तरफ 172 फिट, दक्षिण तरफ 174 फिट, पूर्व तरफ 117 फिट, पश्चिम तरफ 132 फिट एवं रोड से 12 फिट चौड़ा व 146 फिट लम्बा रास्ता बैचान कर कब्जा वादी को संभला दिया तथा दिनांक 20.06.2006 को 60×15 फिट आराजी का बैचान कर कब्जा वादी को संभलाने का तथ्य अंकित करते हुये उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का यह वाद पेश किया है।

हमने तथाकथित बैचाननामा तहरीर दिनांक 12.06.2003 का अवलोकन किया। यह 100/-रू0 के स्टॉम्प पर आलेखित किया गया है। इसमें लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल जाति माली साकिन पनवाड़ द्वारा अपने खाते की पीवत में से उत्तर तरफ 172 फिट, दक्षिण तरफ 174 फिट, पूर्व तरफ 117 फिट, पश्चिम तरफ 132 फिट एवं रोड से 12 फिट चौड़ा व 146 फिट लम्बा रास्ता का प्लाट 225000/-रू0 में पंचायत मालियान धूसरिया पंचायत धोलास्या श्री ठाकुर मुरलीमनोहर जी पनवाड़ को बैचान कर कब्जा देने का उल्लेख है। यह तहरीर बैचाननामा अपंजीकृत है। इसी प्रकार बैचाननामा तहरीर दिनांक 20.06.2006 भी 100/-रू0 के स्टॉम्प पर तहरीर है, में लक्ष्मीनारायण पुत्र गोपाल जाति माली निवासी पनवाड़ द्वारा अपने भूमि का एक मकान ग्राम पनवाड़ में कोटा रोड़ से पूर्व दिशा का 60×15 फुट का श्री भगवान मुरलीमनोहर विराजमान ग्राम पनवाड़ मूर्ति नाबालिग संरक्षक जर्ये धोलास्या, धूसरिया माली समाज पंचायत ग्राम पनवाड़ को 175000/-रू0 में बैचान कर कब्जा संभलाने का उल्लेख है। यह तहरीर बैचाननामा भी अपंजीकृत है। इन दोनों बैचाननामा में क्रमशः 225000/- व 175000/-रू0 का लेन देन दर्शाया है, जबकि कानूनन 100/- रू0 से अधिक की सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीकरण अनिवार्य है। यहां तथाकथित दस्तावेज बैचान पत्र अपंजीकृत है, जो कानूनन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है और न ही ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज से वादी/केता को वादग्रस्त आराजी के संबंध में कोई अधिकार सृजित होते हैं। ऐसे में दिनांक 18.12.2016 को वादी को स्पष्ट रूप से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। यहां पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का है। यहां यह सही है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अनुतोष प्रदान करने एवं संविदा की विनिर्दिष्ट पालना कराने संबंधी वादों का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। यहां हम अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1/1, 2 द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में प्रस्तुत तर्कों से पूर्ण रूप से सहमत हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि वादी ने अपने वाद में अपंजीकृत बैचाननामों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है, जहां प्रथमतः वादी को वाद कारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। स्पष्टतः अपंजीकृत बैचाननामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर केवल सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1/1, 2 का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य है तथा वादी का वाद चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र, प्रार्थी/प्रतिवादी नं0 1/1, 2 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहित 1908 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद-पत्र संख्या

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

1114/2016 भगवान मुरलीमनोहरजी विराजमान पनवाड़ जर्ये वाद मित्र मोहनलाल माली पनवाड़ बनाम् लक्ष्मीनारायण वगैरह खारिज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 23/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.06 15:15:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: